12 (2) लोक सेवक के अभियोजन के लिए मंजूरी

गृह मंत्रालय ने हमारी जानकारी में यह बात लाई है कि हाल ही में एक मामले में ऐसे लोक सेवक के अभियोजन की मंजूरी को, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के नियम के अंतर्गत निदेशक बोर्ड द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता था, न्यायालय द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि मंजूरी प्राधिकारी अर्थात निदेशक बोर्ड द्वारा विवेक का समुचित प्रयोग नहीं किया गया था, क्योंकि आवश्यक सामग्री जैसे अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्रित दस्तावेज और अन्य साक्ष्य अभियोजन के संबंध में मंजूरी देने के लिए निदेशक बोर्ड के सदस्यों के समक्ष कभी भी नहीं रखे गए परिणामतः वे इस मुद्दे पर अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सके। यह बताया गया है कि निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष ने, बोर्ड के सदस्यों को अपना मत देते हुए मामले के तथ्यों का वर्णन मात्र दिया था कि यह अभियोजन के लिए उचित मामला है और सदस्यों ने अभियोजन के लिए मंजूरी दे दी।

2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा में यह उपबंध है कि भारतीय दंड संहिता की धारा–161 अथवा 164 अथवा धारा 165 के अधीन अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा–5 की उप–धारा (2) अथवा उप–धारा (3–क) के अधीन लोक सेवक के अभियोजन के लिए उसको उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। ऊपर निर्दिष्ट स्वरूप की कमियों के दूर करने के लिए विधि मंत्रालय के परामर्श से निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसे ऐसे लोक सेवक के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपनाया जाएगा, जिन्हें निदेशक बोर्ड द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है।

(क) संबंधित लोक सेवक के अभियोजन के लिए मंजूरी देने के संबंध में निदेशक बोर्ड की बैठक की नियमित कार्य–सूची में एक सुस्पष्ट मद दी जानी चाहिए ताकि उसमें उपस्थित सभी सदस्यों को उस विषय–वस्तु का पता लग सके जिस पर विचार–विमर्श किया जाएगा।

(ख) अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सुसंगत कागजात, दस्तावेज, साक्ष्य अथवा किसी अन्य सामग्री को निदेशक बोर्ड के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ग) निदेशक बोर्ड के सभी सदस्यों से यह अपेक्षित है कि वे अपने समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्ष्य इत्यादि को ध्यान में रखते हुए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग करें। तत्पश्चात् इसे मंजूरी देने अथवा इसे रोके रखने के संबंध में सर्वसम्मति से अथवा बहुत से निर्णय लेना होता है।

(घ) उपर्युक्त मद (क) से (ग) के संबंध में बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेख, निदेशक बोर्ड द्वारा सदस्यों के विवेक सामूहिक मत के उपयुक्त साक्ष्य के रूप में कार्यवृत्त पुस्तिका में उचित रूप से रखा जाना चाहिए।

(बी पी ई का तारीख 6 मार्च, 1979 का अर्ध–शासकीय पत्र सं. 2(3)/79 बी पी ई) (जी एम–I)